हिंदू महिलाओं के उत्तराधिकार का अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

लेखक: अपूर्वा विश्वनाथ (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

12 अगस्त, 2020

"न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी हिंदू महिला का पैतृक संपत्ति पर संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से है और यह तथ्य इस बात पर भी निर्भर नहीं करता है कि 2005 में कानून लागू होने के वक्त उनके पिता जीवित थे या नहीं।"

मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेटियों को भी बेटों की तरह पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदार माना जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भले ही हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई हो, तो भी उनकी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। इस महत्वपूर्ण फैसले को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सुनाया है। इस बेंच की अध्यक्षता जस्टिस अरुण मिश्रा कर रहे थे।

2005 का कानून क्या है?

हिंदू कानून के मितक्षरा स्कूल को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया जो उत्तराधिकार और संपत्ति के उत्तराधिकार का नियमन करता है लेकिन कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता केवल पुरुष को प्रदान करता है। यह कानून उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाज के अनुयायी, ब्रह्म समाज को भी इस कानून के उद्देश्यों के लिए हिंदू माना जाता है।

एक हिंदू अविभाजित परिवार में, कई कानूनी वारिस संयुक्त रूप से मौजूद हो सकते हैं। परंपरागतरूप से, समान पूर्वज के केवल पुरुष वंशज की माताएं, पत्नियाँ और अविवाहित बेटियों को एक संयुक्त हिंदू परिवार के रूप में माना जाता है। कानूनी उत्तराधिकारी परिवार की संपत्ति को संयुक्त रूप से रखते हैं।

महिलाओं को 2005 से होने वाले बंटवारे के लिए हिस्सेदार या संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई थी। उसी वर्ष अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया था ताकि एक बेटी को एक हिस्सेदार और जन्म से ही एक उत्तराधिकारी बनाया जा सके "जैसे कि किसी बेटे के अधिकार" होते हैं।

यह कानून पैतृक संपत्ति पर और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकार को लागू करने के लिए है, जहां उत्तराधिकार कानून के अनुसार होता है, न कि एक इच्छा के अनुसार।

174वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने भी हिंदू उत्तराधिकार कानून में इस सुधार की सिफारिश की थी। 2005 के संशोधन से पहले ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने कानून में यह बदलाव कर दिया था और केरल ने 1975 में हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली को समाप्त कर दिया था।

पृष्ठभूमि

हिंदू लॉ के तहत महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को लेकर लगातार कानून में बदलाव की जरूरत महसूस की जाती रही थी और समय-समय पर कानून में बदलाव होता रहा है। संसद ने 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया।

इस कानून से पहले हिंदू लॉ के दो स्कूलों मिताक्षरा और दायभाग में महिलाओं की संपत्ति के बारे में व्याख्या की गई। हाई कोर्ट के एडवोकेट नवीन शर्मा बताते हैं कि 11वीं सदी में विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा और जीमूतवाहन ने दायभाग लिखा। मिताक्षरा के तहत बेटों को जन्म से पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया जबकि महिलाओं को ये अधिकार नहीं था।

मिताक्षरा स्कूल के तहत जो व्याख्या है उसमें कहा गया है कि महिलाओं का भरण पोषण पुरुष सदस्य करेंगे और उसकी शादी आदि का इंतजाम करेंगे। अगर महिला को जरूरत है तो उसे संपत्ति का कुछ हिस्सा उसके भरण पोषण के लिए दिया जाता था लेकिन महिला के मरने के बाद वह संपत्ति का हिस्सा संयुक्त परिवार में समाहित हो जाता था यानी महिला को उसे बेचने का अधिकार नहीं था।

यह मामला कैसे आया?

हालांकि 2005 के कानून में महिलाओं को समान अधिकार दिए गए थे, फिर भी कई मामलों में सवाल उठाए गए थे कि क्या कानून पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है और महिलाओं के अधिकार पिता की जीवित स्थिति पर निर्भर करते हैं जिनके माध्यम से महिलाएं विरासत प्राप्त करेंगी। सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न पीठों के इस मुद्दे पर परस्पर विरोधी विचार थे। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने शीर्ष अदालत के विभिन्न विचारों का भी बाध्यकारी मिसाल के रूप में पालन किया था।

प्रकाश बनाम फुलवती (2015) मामले में, न्यायमूर्ति ए. के. गोयल की अध्यक्षता वाली दो-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि 2005 के संशोधन का लाभ केवल 9 सितंबर, 2005 (वह तिथि जब संशोधन लागू हुआ) को "जीवित पिता की बेटियों" को ही दिया जा सकता है।

फरवरी 2018 में, 2015 के फैसले के विपरीत,न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि 2001 में मरने वाले पिता की संपत्ति भी 2005 के कानून के अनुसार, संपत्ति के बंटवारे के दौरान उनकी बेटियों को हिस्सेदार के रूप में मानेगी।

फिर उसी वर्ष अप्रैल में, न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल की अध्यक्षता वाली एक और दो-न्यायाधीशों की पीठ ने 2015 में अपने विचार प्रकट किए।

समान शक्ति वाली पीठ द्वारा इन परस्पर विरोधी विचारों को वर्तमान मामले में तीन-न्यायाधीश की पीठ के संदर्भ में लाया गया है और वर्तमान पीठ ने 2015 और अप्रैल 2018 से फैसले को पलट दिया है। अदालत ने उच्च न्यायालयों को छह महीने के भीतर इस मामले से जुड़े मामलों को निपटाने का भी निर्देश दिया क्योंकि वे वर्षों से लंबित थे।

कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा, बेटियां हमेशा बेटियां रहती हैं। बेटे तो बस विवाह तक ही बेटे रहते हैं। यानी 2005 में संशोधन किए जाने से पहले भी किसी पिता की मृत्यु हो गई हो तब भी बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटे या बेटों के बराबर ही हिस्सा मिलेगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:-

1. यह कानून जन्म से हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने इनमें से कोई धर्म अपना लिया हो, पर लागू होता है।
2. वर्ष 2005 में इस कानून में संशोधन किया गया तथा संपत्ति के मामले में पुत्रियों को भी बराबर का हक दिया गया।
3. हिंदू उत्तराधिकार कानून में इस सुधार की सिफारिश 163वें विधि आयोग की सिफारिश में की गयी थी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of 'Hindu Succession Act 1956':

1. This law applies to Hindu, Buddhist, Jain and Sikh or any person who has adopted any of these religions since birth.
2. This law was amended in the year 2005 and daughters were also given equal rights in the matter of property.
3. This reform in the Hindu Succession Act was recommended by the 163rd Law Commission.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 only (b) 2 only
(c) 1 and 2 (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि बेटियों को भी बेटों की तरह पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की चर्चा कीजिए।

Q. Recently, the Supreme Court gave a landmark ruling that daughters should also get equal share in ancestral property like sons. While discussing the main provisions of the Hindu Succession Act, highlighting the characteristic of this decision of the Supreme Court.

GS WORLD